न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–26ए/2016 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. नारायण लाल पिता शंकर लाल, जाति जाट आयु वयस्क निवासी नौगांवा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. किशन पिता शंकर लाल, जाति जाट आयु वयस्क निवासी नौगांवा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

– प्रार्थीगण

बनाम

1. शंकर पिता रामा, जाति जाट मृतक के बजाय कायम मुकामान–
   1/1 नानू बेवा शंकर जाट आयु वयस्क निवासी नौगांवा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
   1/2 पारस पुत्री शंकर जाट पत्नी शंकर जाट आयु वयस्क निवासी जबरकिया, तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
   1/3 सीता पुत्री शंकर जाट पत्नी रतन लाल जाट आयु वयस्क निवासी सालमपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. देबी लाल पिता भैरू गाडरी, आयु वयस्क निवासी नौगांवा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. उदयलाल पिता लक्ष्मण जाति जाट आयु वयस्क निवासी नौगांवा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. कालूराम पिता लक्ष्मण जाति जाट आयु वयस्क निवासी नौगांवा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. शंकर पिता छोगा जाति जाट निवासी नौगांवा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. शंकर पिता देवा जाति जाट निवासी नौगांवा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. मु0 भूरी बेवा देवा जाति जाट निवासी नौगांवा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
8. बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबंधक शाखा गाडरमाला, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

– विपक्षीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 54, 88–89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थित अधिवक्ता–

1. श्री लादू लाल गुर्जर– प्रार्थी
2. श्री कन्हैया लाल सेन– अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 02|1|26

प्रार्थी द्वारा दिनांक 08.06.2016 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया जो बाद जांच प्रकरण संख्या 26ए/2016 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की वास्ते तलबी नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः–

प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की मौजा नौगांवा, पटवार हल्का भोपालगढ, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा की सरहद में खाता संख्या 71 की आराजी संख्या 310 रकबा 09 बीधा 02 बिस्वा स्थित है।

2|1|26
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

1

आराजी संख्या 310 संवत् 2032 में मोडा, रामा, मांगू पिता तुल्छा, मोडा पिता तुलछा, छोगा देवा पिता गोकल जाट के नाम दर्ज रेकॉर्ड थी तथा सेटलमेंट के पहले आराजी संख्या 310 के पुराने नम्बर 529/2 थे जो मोडा, रामा, मांगू पिता तुल्छा, अर्जुन पिता हीरा जाट के नाम दर्ज रेकॉर्ड थी अर्जुन जाट की मृत्यु के बाद अर्जुन जाट के स्थान पर मांगू पिता अर्जुन गट्टू बेवा अर्जुन के नाम पर दर्ज रेकॉर्ड हुई तथा मांगू पिता अर्जुन व गटटू बेवा अर्जुन के हिस्से में से 1/2 हिस्सा विक्रय से मोडा पिता तुल्छा के नाम दर्ज रेकॉर्ड हुआ तथा मांगू पिता अर्जुन व गट्टू बेवा अर्जुन के 1/2 हिस्से में से 1/2 हिस्सा छोगा, देवा पिता गोकल के नाम दर्ज रेकॉर्ड हुआ तथा इसी अनुसार मौके पर काबिज हो काश्त करते आ रहे हैं।

सेटलमेंट के पहले व सेटलमेंट के बाद हर जमाबंदी में सही हिस्से दर्ज रेकॉर्ड होते चले आ रहे है। स्वर्गीय मोडा पिता तुल्छा के वारिसान से प्रार्थीगण ने उनका संपूर्ण हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के कय कर कब्जा प्राप्त कर लिया लेकिन रूटीन की जमाबंदी में प्रार्थीगण का हिस्सा केवल एक जगह ही दर्ज किया है जबकि प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजियात में 1/6 + 1/4 हक व हिस्सा है। पटवारी हल्का ने रूटीन जमाबंदी में केवल एक ही जगह प्रार्थीगण का नाम दर्ज किया है जिससे विपक्षीगण के मन में बेईमानी आ गयी है तथा विपक्षीगण प्रार्थीगण को जबरन लठ के बल पर बेदखल करने पर उतारू हो रहे हैं जिससे वादपत्र पेश करने की नौबत आई है।

विपक्षीगण को प्रार्थीगण ने उक्त अवैध इन्द्राज को दुरूस्त कराने के लिए निवेदन किया तो अभी हाल ही में दिनांक 31.12.15 को इन्कार हो गये जिससे प्रार्थीगण को वादपत्र पेश करने की नौबत आई है। 31.12.2015 से ही प्रार्थीगण को वादकारण हासिल है ।

विपक्षीगण प्रार्थीगण को नुकसान पहुंचाने की गरज से प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखल करने व भूमि को विकय करने पर उतारू है जिन्हें स्थायी निषेधाज्ञा से रोका जाना न्यायोचित है इस कारण वादपत्र पेश करने की नौबत आई है।

प्रतिवादी संख्या 8 के यहां भूमि रहन होने एवं 9 भूमिधारी होने से आवश्यक पक्षकार होने से औपचारिक पक्षकार कायम किया गया है।

वादपत्र ठोस आधारों पर पेश किया है जिसमें कामयाबी मिलने की संभावना है जिसके निस्तारण में समय लगने की संभावना है इस कारण ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा विपक्षीगण को पाबंद फरमाया जाना न्यायोचित है कि विपक्षीगण, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखल ना तो स्वयं करे ना करावे व भूमि को किसी भी माध्यम से खुर्दबुर्द नहीं करे ।

प्रार्थीगण का उपरोक्त समस्त आधारों पर प्रथम दृष्टया मामला है सुविधा का संतुलन विपक्षीगण के पक्ष में यदि विपक्षीगण ने प्रार्थीगण के उनके हक हिस्से के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न की या बेदखल कर दिया अथवा खुदबुर्द कर दिया तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी इस प्रकार अपूर्णनीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना है कि ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा विपक्षीगण संख्या 1 से 7 को पाबंद फरमावे कि वे वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थीगण के 1/6 + 1/4 अर्थात 5/12 हक व हिस्सा के कब्जे काश्त में ना तो स्वयं अवरोध उत्पन्न करे ना किसी अन्य से करावे साथ ही उक्त आराजियात या इसके किसी जुज हिस्से को किसी भी माध्यम से खुर्द–बुर्द, विकय, रहन या बय–बख्शीश ना करे, ना करावे ना प्रार्थीगण को बेदखल करे ना करावें।

प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजियात मे 1/6 + 1/4 अर्थात 5/12 हक व हिस्सा बनता है जिसका बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन कर इसी तरह से प्रार्थीगण का हिस्सा दर्ज करने की घोषणा करायी जावे ।

उक्त प्रकरण में वादीगण/प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा०टि०एक्ट का जवाब विपक्षी संख्या 02 देवीलाल आत्मज भैरू जाति गाडरी की ओर से निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

21/1/26

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 का जवाब यह है कि विवादित आराजी नम्बर 310 रकबा 9.02 बीघा भूमि का ग्राम नौगांवा पटवार हल्का गाडरमाला उर्फ भौपालगढ में स्थित होना स्वीकार है शेष तथ्य अस्वीकार है।

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 02 गलत होकर अस्वीकार है इस कलम का जवाब इस प्रकार है कि विवादित भूमि के साबिक आराजी नम्बर 529/2 थे जिसके वर्तमान आराजी नम्बर 310 रकबा 9.02 बीघा भूमि राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है जो कि शामलाती खाते में दर्ज है, वादीगण/प्रार्थीगण का जो उक्त भूमि में हक व हिस्सा दर्ज था उसे अलग-अलग विक्रय पत्रों के जरिए विपक्षी संख्या 01 को विक्रय कर कब्जा सिपूर्द कर दिया। वादी प्रार्थी संख्या 01 नारायण आत्मज शंकर जाट ने उक्त भूमि में अपना दर्ज हक हिस्सा 1/8 हिस्सा का विक्रय पत्र तादादी 38000/- रूपये में विक्रय प्रतिफल की राशि प्राप्त कर दिनांक 17/06/2014 को विक्रय पत्र का निष्पादन कर पंजीयन करवा दिया। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 02 शंकर मुत्तबन्ना छोगा जाट ने 1/4 हिस्सा का विक्रय श्री देवीलाल आत्मज भैरू गाडरी को दिनांक 17/06/2014 को कर दिया। इसी प्रकार देबी आत्मज रामा जाट ने भी अपने नाम पर दर्ज हक व हिस्से का विक्रय पत्र दिनांक 05/08/2014 को किया जाकर विक्रय पत्र निष्पादन कर पंजीयन करवा दिया है। उसके आधार पर नामान्तकरण के जरिए उक्त भूमि क्रेता देबीलाल आत्मज भैरू गाडरी के नाम दर्ज हो गई। उसके पश्चात् वादीगण /प्रार्थीगण का गलत तथ्यों को आधार बनाकर वाद एंव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो निरस्त होने लायक है।

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 03 गलत होकर अस्वीकार है. इस कलम में प्रार्थीगण /वादीगण का यह लिखना कि सेटलमेन्ट के पूर्व एंव पश्चात् हर जमाबन्दी में सही हिस्से दर्ज रेकॉर्ड होकर चली आ रही है लेकिन रोटेशन की जमाबन्दी में प्रार्थीगण का हिस्सा केवल एक जगह ही दर्ज किया है। कलम संख्या 01 में वर्णित भूमि में 1/6 + 1/4 हक व हिस्सा यानि 5/12 हिस्सा है जिसे एक जगह ही दर्ज किया जिससे विपक्षीगण के मन में बेईमानी आ गई तथा प्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने पर ऊतारू है जिसे रोका जाना आवश्यक है, उक्त तथ्य प्रार्थीगण ने मनगडन्त व कपोल कल्पित तथ्य अंकित किये हुए है जो चलने योग्य नही है, क्योंकि विवादित भूमि में हक व हिस्सा गलत व त्रुटिपूर्ण दर्ज हुआ है, यह तथ्य प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रेकॉर्ड से साबित नही है अतः प्रार्थना पत्र खारीज होने लायक है ।

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 04 गलत होकर अस्वीकार है।

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 05 गलत होकर अस्वीकार है।

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 06 गलत होकर अस्वीकार है।

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 07 गलत होकर अस्वीकार है, प्रस्तुत वाद घौषणात्मक वाद है जिसमें राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार भीलवाड़ा आवश्यक पक्षकार है जिनके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 जा०दी० का नोटिस दिया जाना आवश्यक है किन्तु अन्दर अवधि 02 माह का नोटिस नहीं देने से यह वाद एंव प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारीज होने लायक है ।

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 08 गलत होकर अस्वीकार है।

प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 09 गलत होकर अस्वीकार है इस क्लम का जवाब यह है कि प्रार्थीगण का न तो प्रथम दृष्टया मामला है न ही सुविधा सन्तुलन का बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है अतः प्रार्थना पत्र खारीज होने लायक है।

अतः प्रार्थना है कि विपक्षी संख्या 02 का जवाब रेकॉर्ड पर लिया जाकर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 रा०टि०एक्ट का खारीज फरमाया जावें।

अप्रार्थी संख्या 01, 03 व 04 बाद तामिल अनुपस्थित रहने से दिनांक 10.03.2021 को एकतरफा कार्यवयाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 06 व 07 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 01.04.2025 को 200 रूपये की शास्ति पर अवसर दिया गया, इसके बावजूद भी जवाब पेश नहीं करने पर दिनांक 06.04.2025 को जवाब बंद किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 5 के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थी अधिवक्ता श्री लादूलाल गुर्जर द्वारा मूल वाद में अप्रार्थी संख्या 1/1 लगायत 1/3 की ओर से पेश वकालतनामा विड्रो करने की स्वीकृति चाहने से स्वीकृति प्रदत्त की गई।

प्रकरण में उभयपक्षकारान् अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया। प्रकरण का गुणवत्तापूर्ण निरतारण किये जाने हेतु निम्नांकित तीन बिन्दुओं पर निर्णय किया जाना आवश्यक है:—

1. प्रथम दृष्टया मामला—

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि ग्राम नौगावां पटवार हल्का भोपालगढ, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 310 संवत् 2032 में मोडा, रामा, मांगू पिता तुल्छा, मोडा पिता तुल्छा, छोगा देवा पिता गोकल जाट के नाम दर्ज रेकॉर्ड थी तथा सेटलमेंट के पहले आराजी संख्या 310 के पुराने नम्बर 529/2 थे जो मोडा, रामा, मांगू पिता तुल्छा, अर्जुन पिता हीरा जाट के नाम दर्ज रेकॉर्ड थी अर्जुन जाट की मृत्यु के बाद अर्जुन जाट के स्थान पर मांगू पिता अर्जुन गट्टू बेवा अर्जुन के नाम पर दर्ज रेकॉर्ड हुई तथा मांगू पिता अर्जुन व गटटू बेवा अर्जुन के हिस्से में से 1/2 हिस्सा विक्रय से मोडा पिता तुल्छा के नाम दर्ज रेकॉर्ड हुआ तथा मांगू पिता अर्जुन व गट्टू बेवा अर्जुन के 1/2 हिस्से में से 1/2 हिस्सा छोगा, देवा पिता गोकल के नाम दर्ज रेकॉर्ड हुआ तथा इसी अनुसार मौके पर काबिज हो काश्त करते आ रहे हैं।

प्रार्थीगण ने स्व0 मोडा पिता तुल्छा के वारिसान से उनका सम्पूर्ण हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 01.11.2010 से क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया लेकिन रूटीन की जमाबन्दी में प्रार्थीगण का हिस्सा केवल एक जगह ही दर्ज किया है जबकि प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी में 1/6 + 1/4 अर्थात 5/12 हक हिस्सा है।

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि विवादित भूमि के साबिक आराजी नम्बर 529/2 थे जिसके वर्तमान आराजी नम्बर 310 रकबा 9.02 बीघा भूमि राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है जो कि शामलाती खातें में दर्ज है, वादीगण/प्रार्थीगण का जो उक्त भूमि में हक व हिस्सा दर्ज था उसे अलग—अलग विक्रय पत्रों के जरिए विपक्षी संख्या 01 को विक्रय कर कब्जा सिपूर्द कर दिया। वादी प्रार्थी संख्या 01 नारायण आत्मज शंकर जाट ने उक्त भूमि में अपना दर्ज हक हिस्सा 1/8 हिस्सा का विक्रय पत्र तादादी 38000/— रूपये में विक्रय प्रतिफल की राशि प्राप्त कर दिनांक 17/06/2014 को विक्रय पत्र का निष्पादन कर पंजीयन करवा दिया। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 02 शंकर मुत्तबन्ना छोगा जाट ने 1/4 हिस्सा का विक्रय श्री देवीलाल आत्मज भैरू गाडरी को दिनांक 17/06/2014 को कर दिया। इसी प्रकार देबी आत्मज रामा जाट ने भी अपने नाम पर दर्ज हक व हिस्से का विक्रय पत्र दिनांक 05/08/2014 को किया जाकर विक्रय पत्र निष्पादन कर पंजीयन करवा दिया है। उसके आधार पर नामान्तकरण के जरिए उक्त भूमि क्रेता देबीलाल आत्मज भैरू गाडरी के नाम दर्ज हो गई। उसके पश्चात् वादीगण/प्रार्थीगण का गलत तथ्यों को आधार बनाकर वाद एंव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो निरस्त होने लायक है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की शामलाती दर्ज रेकार्ड है। अतः प्रार्थीगण अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में सफल रहे है।

2. सुविधा का संतुलन—

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की सहखातेदारी भूमि होने से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध सुविधा का संतुलन प्रमाणित होने की स्थिति से अवगत करवाया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वर्तमान आराजी नम्बर 310 रकबा 9.02 बीघा भूमि राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है जो कि शामलाती खातें में दर्ज है, वादीगण/प्रार्थीगण का जो उक्त भूमि में हक व हिस्सा दर्ज था उसे अलग—अलग विक्रय पत्रों के जरिए विपक्षी संख्या 01 को विक्रय कर कब्जा सिपूर्द कर दिया। वादी प्रार्थी संख्या 01 नारायण

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

आत्मज शंकर जाट ने उक्त भूमि में अपना दर्ज हक हिस्सा 1/8 हिस्सा का विक्रय पत्र तादादी 38000/– रूपये में विक्रय प्रतिफल की राशि प्राप्त कर दिनांक 17/06/2014 को विक्रय पत्र का निष्पादन कर पंजीयन करवा दिया। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 02 शंकर मुत्तबन्ना छोगा जाट ने 1/4 हिस्सा का विक्रय श्री देवीलाल आत्मज भैरू गाडरी को दिनांक 17/06/2014 को कर दिया। इसी प्रकार देबी आत्मज रामा जाट ने भी अपने नाम पर दर्ज हक व हिस्से का विक्रय पत्र दिनांक 05/08/2014 को किया जाकर विक्रय पत्र निष्पादन कर पंजीयन करवा दिया है। उसके आधार पर नामान्तकरण के जरिए उक्त भूमि क्रेता देबीलाल आत्मज भैरू गाडरी के नाम दर्ज हो गई।

अतः उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी ने विक्रय पत्र से संबंधित कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किये है अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थीगण अपने पक्ष में प्रमाणित करने में सफल रहे है।

3. अपूरणीय क्षति–

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि में राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज हक हिस्से अनुसार अपनी भूमि का बेचान करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि में दर्ज हक हिस्से अनुसार बेचान कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी भरपाई अर्थ से किया जाना संभव नहीं होगा। अतः अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्सा सही रूप से दर्ज है और अप्रार्थीगण को अपने हक हिस्से अनुसार भूमि का अंतरण करने का अधिकार प्राप्त है। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित नहीं है।

न्यायालय का यह विधिक दायित्व है कि वो नवीन वाद विवाद उत्पन्न होने से रोके और इस उद्देश्य की पूर्ती हेतु वादग्रस्त भूमि का मूल वाद के निस्तारण अंतरण रोका जाना उचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीगण अपने पक्ष में अपूरणीय क्षति का बिन्दु साबित करने में असफल रहे है तथा प्रार्थीगण अपने पक्ष में अपूरणीय क्षति के बिन्दु को साबित करने में सफल रहे है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम नौगांवा, पटवार हल्का भोपालगढ, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा की सरहद में खाता संख्या 71 की आराजी संख्या 310 रकबा 09 बीधा 02 बिस्वा भूमि के संबंध में अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 07 के विरूद्ध प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया प्रमाणित होता है तथा प्रार्थीगण अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को अपने पक्ष में साबित करने में प्रथम दृष्टया सफल रहे है। अतएवं

–: आदेश :–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 08 स्वीकार किया जाता है और मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखते हुए अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 08 को पाबंद किया जाता है। उक्त स्थगन आदेश राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार की मृत्यु होने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के अनुसार विरासतीय आधार पर नामान्तरण दर्ज करने पर स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होगा।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

02/1/26

(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा